राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

(पीठ)ासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

(मुक)दमा संख्या :– 230/2-24 पु० पत्र

1. कौशल्या कंवर w/o [illegible] सिंह राजपूत नि० [illegible] - तह० करेड़ा - प्रार्थी

बनाम

1. पुष्पा w/o [illegible] जाति [illegible] नि० कोड़ा - तह० [illegible] - [illegible]

विपक्षीगण.

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956</u>

:: आदेश :: दिनांक 6/8/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर (य)ह किया कि ग्राम कोड़ा...... पटवार हल्का कोड़ा...... तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता (सं) 233 आराजी नम्बर 4951, 9157/4923, 9163/4923, 9207/4923,

(कुल ता)ता 4..... रकबा 1.5776 ....हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी (ब)िया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2/7/24...... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को (अवलो)कनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का (जरू)री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही (है) न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक (सिद्धान्त) के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम................ कोड़ा........ पटवार हल्का कोड़ा............ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 233 आराजी नम्बर...... 4951, 9157/4923, 9163/4923, 9207/4923,

(कुल ता)ता 4...... रकबा 1.5776 .... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु (पत्थरगढी) किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक कोड़ा.............को 650/– /– रुपये कमिश्नर फीस पर (कमिश्नर) नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर (पक्षका)न की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर (पत्थरगढी) की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

(संलग्न) प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रतिलिपि) :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की (पा)लना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा